अनुसूची-१४ -फारम सं० ५६२

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी-सह-समाहर्ता,सारण,छपरा।

आपूर्ति अपील सं0- 86/2012

शिवजी प्रसाद

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदा,मढौरा,सारण)

आदेश का क्रम-संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख-सहित
13.08.2015	यह अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी,मढौरा,सारण के ज्ञापांक 2218, दिनांक 24.07.2012 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षेप्त इतिहास यह है कि दिनांक 10.01.2012 को जिला स्तरीय जांच दल संख्या 1 जिला परिवहन पदाधिकारी,सारण,छपरा के द्वारा शिवजी प्रसाद,ज0वि0प्र0वि0, अनु सं0-07/2007, पंचायत-चंदकुदरियां, प्रखंड-मशरक की दूकान की जांच की गई। जांच के क्रम में निम्नलिखित अनियमितताए पाई गई- (1) अंत्योदय का खाद्यान्न 25 किलों ही देना। (2) अंत्योदय का खाद्यान्न 5 रूपये प्रति किलों की दर से देना। उक्त अनियमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा, सारण के ज्ञापांक 601, दिनांक 22.03.2012 के द्वारा विक्रेता से स्पष्टीकरण पूछा गया, जिसमें प्रसंग में उसके द्वारा अपना जवाब दिया गया। प्राप्त जवाब को असंतोषजनक पाकर अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा विक्रेता की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गयी, जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है। अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि जांच की तिथि को विक्रेता की दूकान खुली थी। जांच पदाधिकारी को विक्रेता के द्वारा पुरा सहयोग प्रदान किया गया। जांच के क्रम में किसी भी प्रकार की कोई भी अनियमितता नहीं पाई गई। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी गैर उपभोक्ता के द्वारा विक्रेता के विरूद्ध जांच दल को ब्रामक सूचना दी गई, जिसके आलोक में विक्रेता से कारण पृच्छा किया गया है। विक्रेता के द्वारा विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में अनुदानित सामग्री का ससमय उठाव एवं कूपन के आधार पर वितरण किया जाता है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुज्ञापन	

पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विक्रेता के विरूद्ध उपभोक्ता के द्वारा की गई शिकायत से प्रतीत होता है कि विक्रेता के द्वारा विभागीय दिशा निर्देश के प्रतिकूल आचरण करके गंभीर अनियमितताएं बरती गई है, जिसके लिए उनका अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाना उचित होगा।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरांत मैं यह पाता हूँ कि अपीलार्थी के विरूद्ध उपभोक्ताओं के द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए है। विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत जवाब से उनके विरूद्ध लगाए गए आरोपों का खंडन नहीं होता है। अपीलार्थी के द्वारा बिहार सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2001 के प्रावधनों, अनुज्ञप्ति की शर्तो एवं विभागीय दिशा निर्देशों का स्पष्ट रूप से उल्लंधन किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में, मैं अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश (ज्ञापांक 2218, दिनांक 24.07.2013) में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता महसूस नहीं करता हूँ। अपीलार्थी के द्वारा दाखिल अपील आवेदन दिनांक 14.08.2012 को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी,
सारण,छपरा।

जिला दण्डाधिकारी,
सारण,छपरा।

ज्ञापांक 2785 /न्या0, दिनांक 22.8.15 /

प्रतिलिपिः- अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा,सारण को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु निदेशानुसार प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।
22/8/15